



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3-30/2017/1/पांच (51)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 54 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद की अनुशंसाओं पर, एतदद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अधीन अनुपयोगित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उक्त अधिनियम की अनुसूची दो की मद 5 की उप मद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

२. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-30/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-30/2017/1/पांच (५१), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव।

#### NOTIFICATION

Bhopal, Dated : 30/06/2017

No. F A 3-30/2017/1/FIVE(५१)

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the G.S.T. Council, hereby, notifies that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed under the said Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.